न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 32/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/228

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भजनलाल पुत्र भगाराम जाति विश्नोई निवासी बी. ढ़ाणी, सांचौर। 2. भेराराम पुत्र गोमदाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील– सांचौर। 3. मोहनी देवी पत्नी गणपतलाल जाति विश्नोई निवासी सारणावास तहसील चितलवाना।		1. ग्राम पंचायत कारोला। 2. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोदारा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 19.12.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आषय का पेश किया कि हम प्रार्थीगण का खेत मौजा–कारोला, पटवार हल्का–कारोला, तहसील–सांचौर में स्थित है। इसमें खातेदारी आराजी खाता संख्या 154 के खसरा नंबर 344 रकबा 1.6200 हैक्टर और खसरा नंबर 4311/343 रकबा 0.1900 हैक्टर शामिल हैं। हम काश्तकार हैं और हमारी भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिससे हम अपनी खातेदारी का उपयोग नहीं कर सकते। हमारे खेत के बीच सरकारी भूमि स्थित है, जिसका खसरा नंबर 380 रकबा 7.15 हैक्टर और 337 रकबा 0.16 हैक्टर हैं। इस भूमि से होकर हम आवागमन का रास्ता प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने खेत, कृषि उपकरण और माल मवेशी लाने–ले जाने में सक्षम हो सकें। इसलिए, हम 24 फीट का रास्ता प्रस्तावित कर रहे हैं और इसके लिए निर्धारित शुल्क अदा करने हेतु तैयार हैं। अतः हम प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा–251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अधीन सशपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार फरमाकर को प्रार्थीगण मौजा–कारोला, तहसील–सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

में स्थित अपने खेत खसरा नंबर 344 रकबा 1.6200 हेक्टर, खसरा नंबर 4311/343 रकबा 0.1900 हैक्टर जुमले रकबा 1.8100 हैक्टर में स्थित ढाणी सहित प्रार्थीगण को आवागमन प्रयोजनार्थ वादग्रस्थ रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कारोला खेत खसरा नंबर 380 रकबा 7.35 हैक्टर, 337 रकबा 1,6000 हैक्टर मौजा–कारोला, तहसील–सांचौर में से होकर सरकारी रोड से खसरा नंबर 344 तक रास्ता दिया जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी 1 की ओर से ग्राम पंचायत कारोला की साधारण सभा बैठक दिनांक 13.01.2025 को आयोजित कर उक्त खसरा संख्या 380 व 337 में से 30 फिट चौड़ाई में गैर मुमकिन रास्ता के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित किया जाकर जरिये पत्र कमांक/ग्रामका/2025/124 दिनांक 12.09.2025 द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाकर उक्त रास्ते हेतु कोई आपत्ति नहीं की गई।

4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(प) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल [illegible] उपभोग के लिए नहीं है और

(पप) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग [illegible] मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेष द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्षाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दषा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। **साथ ही राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, के परिपत्र कमांक.प.10(03) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025** द्वारा दिये गये निर्देशानुसार यदिः–

- यह आवश्यकता आत्यान्तिक आवश्यकता है और यह जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है। (The necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding)
- अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव। (That absence of alternative means of access is proved)

उक्त शर्तो की पूर्ति होने पर चारागाह भूमि में से होकर रास्ता दिया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों की सुनिश्चितता करना आवश्यक होगाः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:14 IST
Reason: SelfAttested

- जिस व्यक्ति को रास्ता दिया जाना है उसके द्वारा उतने ही क्षेत्रफ[illegible] स्व[illegible] चारागाह से लगती हुई खातेदारी भूमि को चारागाह हे[illegible] भूमि को चारागाह किस्म में दर्ज किया जायेगा।
- यह सरता लघुतम या निकटतम रूट से होगा तथा अधिकतम 30 फीट चौ[illegible] होगा।
- ऐसे उपलब्ध कराये गये रास्तों को गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज किया जावेगा।
- उक्त दर्ज रास्ते में उस व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नही होगा यह एक सार्वजनिक रास्ता होगा।

जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

- यह सुनिश्चित किया जाये कि रास्ता उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप भूमि के शेष भाग का उपयोग चारागाह के रूप में अनुपयुक्त न हो जाये।

प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 898 रकबा 1.95 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति व तहसीलदार सांचौर के पत्रांक/भू.अ./न्या.जांच/2025/4745 दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नं 344 में आवागमन हेतु ग्राम पंचायत कारोला के खसरा संख्या 380 एवं 337 में से 145.30 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौड़ाई अर्थात कुल रकबा 1330 वर्ग मीटर रकबा खसरा संख्या 337 के लगतो लगत कम किया जाकर क्षतिपूर्ति प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 344 से की जाकर रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा कारोला पटवार हल्का कारोला के खसरा नंबर 344 में आवागमन हेतु ग्राम पंचायत कारोला के खसरा संख्या 380 एवं 337 में से 145.30 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौड़ाई अर्थात कुल रकबा 1330 वर्ग मीटर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:— आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सांचौर उक्त प्रकरण का भौतिक एवं अमलदरामद करने से पूर्व प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि से उक्त आराजी के समान चारागाह भूमि में परिवर्तित हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र **राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, के परिपत्र कमांक.प.10(03) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025** द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जालोर से बाद अनुमोदन प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा अनुसार मौजा कारोला पटवार हल्का कारोला के खसरा नंबर 344 में आवागमन हेतु ग्राम पंचायत कारोला के खसरा संख्या 380 एवं 337 में से 145.30 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौड़ाई अर्थात कुल रकबा 1330 वर्ग मीटर रकबा खसरा संख्या 337 के लगतो लगत कम किया जाकर क्षतिपूर्ति प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 344 से की जाकर तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। [illegible] सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर [illegible] दाखिल दफ्तर हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:14 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

निर्णय आज दिनांक **19.12.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर